फर्द अहकाम

नन्छी देवी बनाम सरकार

पत्र संख्या: 108 / 2022

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थी प्रार्थना पत्र में सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अंत में निवेदन किया कि

प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.71 हैक्टेयर वाके ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला पटवार हल्का नृसिंहपुरा, भू–अभिलेख क्षेत्र भांखरोटा तह0 सांगानेर जिला जयपुर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को फरमावें तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद से पत्थरगढी कराने के भी आदेश फरमाने की कृपा करे।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.71 हैक्टेयर वाके ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला पटवार हल्का नृसिंहपुरा, भू–अभिलेख क्षेत्र भांखरोटा तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है का उपतहसीलदार बगरू की सीमाज्ञान रिपोर्ट मौका फर्द दिनांक 13.07.2022 के आधार पर सभी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कायम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
[illegible] अधिकारी
जय[illegible] (साँगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 13:19:15 IST
Reason: SelfAttested